



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण राजकी /अराजकीय/अल्पसंख्यक नि मित
(दो वर्षीय सवाकालीन सहित) परीक्षा, 2018 क लिए पजीयन स धी सचना

विज्ञप्ति संख्या - 68/2018

एतद् द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त एवं इस परिषद् से सम्बद्ध राजकीय/अराजकीय/अल्पसंख्यक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या, प्रशिक्षुओं एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित प्राचार्य द्वारा उपलब्ध कराये गये नामांकन पंजी के आधार पर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा शिक्षा सत्र 2013-2015, शिक्षा सत्र 2014-2016 एवं शिक्षा सत्र 2016-2018 (जिनका सत्र 30 नवम्बर, 2018 तक पूरा हो चुका हो) के लिए पंजीयन ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

	ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र भरने एवं चालान जेनरेट करने की तिथि	चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	15.12.2018 से 24.12.2018 तक	28.12.2018 तक
विलम्ब शुल्क सहित	25.12.2018 से 30.12.2018 तक	03.01.2019 तक

उक्त तिथि के पश्चात् पंजीयन की कार्यवाई नहीं की जाएगी। छात्रों का पंजीयन उपलब्ध कराये गये **नामांकन पंजी के अनुसार ही किया जा सकेगा।**

ऑनलाइन पंजीयन परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in तथा www.jac.nic.in के माध्यम से महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन के चरण (Steps) निम्नवत् हैं:-

- महाविद्यालय प्रधान परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध Registration form को Download कर सभी छात्रों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त छात्र के द्वारा भरे हुए Form को विधिवत् चेक करते हुए Online Registration form भरेंगे।
- Registration form भरने की पूरी प्रक्रिया परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उक्त प्रक्रिया का अनुपालन कर Online Registration form भरा जा सकेगा। Online Registration form भरने की प्रक्रिया की जानकारी अथवा Registration form भरने हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध Online Registration form for PTT exam tab पर click करना होगा।
- महाविद्यालय को परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये User ID एवं Password को निर्धारित कॉलम में भरकर Submit बटन पर क्लिक करने के उपरान्त ही महाविद्यालय अपने Login से Registration की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
- Registration form भरने के उपरान्त महाविद्यालय पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए Generate Challan Tab के माध्यम से चालान Generate करेंगे एवं शुल्क Allahabad Bank के किसी शाखा में जाकर जमा करेंगे। जिन छात्रों का शुल्क चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा, परिषद् द्वारा सिर्फ उन्हीं छात्रों के पंजीयन हेतु आवश्यक कार्यवाई की जाएगी। महाविद्यालय प्रधान से यह अनुरोध होगा कि वे सभी छात्रों का एकसाथ चालान जेनरेट करें, ताकि अनावश्यक व्यय से बचा जा सके।

2) **शुल्कादि का विवरण:-**

(क) पंजीयन शुल्क- रु. 600/-, (ख) पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क- रु. 200/-
(ग) पंजीयन विलम्ब शुल्क- रु. 500/- (घ) आव्रजन शुल्क- रु. 300/-

3) राजकीय/अराजकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालय, ऊपर उल्लिखित शिक्षा सत्र 2016-2018 के नियमित प्रशिक्षु पंजीयन आवेदन संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से जमा कर सकते हैं, जिनका सत्र पूरा हो चुका है और आन्तरिक मूल्यांकन का कार्य समाप्त हो गया है। ऐसे महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य को आवेदन के साथ निम्न कागजात/साक्ष्य जमा करना होगा:-

क) एन.सी.टी.ई. द्वारा दी गई प्रस्वीकृति संबंधी पत्र, जिस सत्र का परीक्षा होना है, की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छायाप्रति।

ख) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी आदेश की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छाया प्रति।

ग) पाठ्यक्रम एवं सत्र पूरा होने संबंधी घोषणा पत्र।

4. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत प्रशिक्षण/नियमित शिक्षक प्रशिक्षु, जिनका प्रतिनियोजन सक्षम पदाधिकारी के द्वारा राजकीय आदेश के तहत विधिवत् रूप से किया गया है और जिनका सत्र पूर्ण और आन्तरिक मूल्यांकन 30.11.2018 तक समाप्त हो जाएगा, वैसे महाविद्यालय/संस्थान नियमित प्रशिक्षुओं का पंजीयन संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से करा सकते हैं। संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य सेवाकालीन प्रशिक्षुओं के पंजीयन आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निम्नांकित कागजात के साथ परिषद् में जमा करेंगे:-

(क) एन.सी.टी.ई. द्वारा दी गई प्रस्वीकृति संबंधी पत्र की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छायाप्रति।

(ख) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी आदेश की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छायाप्रति।

(ग) पाठ्यक्रम एवं सत्र पूरा होने संबंधी घोषणा पत्र। यहाँ यह सत्यापित करना आवश्यक है कि शिक्षा सत्र 2013-2015 एवं 2014-2016 के वैसे राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय जिनका शिक्षा सत्र समाप्ति एवं आन्तरिक मूल्यांकन 31 अक्टूबर, 2018 तक समाप्त हो गया है, परीक्षा फार्म भरने तक इन प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र समाप्ति का घोषणा पत्र एवं आन्तरिक मूल्यांकन समाप्ति का घोषणा पत्र नहीं दिया जाता है तो वैसे प्रशिक्षुओं का परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिनकी सारी जिम्मेवारी संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालय की होगी।

(घ) राजकीय आदेश की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छायाप्रति, जिसके तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया हो एवं नियमित प्रशिक्षुओं का चयन सूची।

(ङ.) प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश की सत्यापित छाया प्रति।

यथा उल्लिखित कागजात के अभाव में तथा निर्धारित तिथि के बाद पंजीयन आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। यथा उल्लिखित कागजात परिषद् द्वारा मांगे जाने के उपरान्त कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित का परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा या प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जा सकेगा।

नोट:- एन.सी.टी.ई. द्वारा संबंधित महाविद्यालय/संस्था के लिए स्वीकृत सीट के अन्तर्गत ही नियमित प्रशिक्षुओं का पंजीयन किया जा सकेगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(महीप कुमार सिंह)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/P.T.T./2010/18/SECY/642/18
Dt. 08.12.18
D.O.P: 09.12.18

8x29

